

22/02/19

पत्रावली केंद्र कुर्श वादी द्वारा स्वयं न्यायालय में लाइफ़ होकर वादपत्र में कार्यवाही बिना किये जाने बाबर शायना-पत्र केंद्र किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत शायना-पत्र व संलग्न फस्ताविज सहित पत्रावली पर अवलोकन व मजबूत किया गया। वादी को सुना गया। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकारान एक ही परिष्कार के सदस्य हैं एवं अब आपस में राजीनामा ले गया है। अतः वादपत्र बिना फरमाया जाये।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत शायना-पत्र बाबर वादपत्र बिना किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र में आवाजी कार्यवाही पक्षकारान में राजीनामा ले जाने से ही किये जाये। पत्रावली केंसल सुनार होकर नंबर से कम होकर वास्तविक रूप में हो।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

[Handwritten signature]

Identified
T. Sambhani
(B.C. Sambhani)